सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण

1. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 15% (अधिकतम 10) तक नई शाखाएँ खोलने हेतु पात्र हो गए हैं।

2. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर पाने को सक्षम हैं ।

3. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी शहरी सहकारी बैंक (UCBs), जो व्यवसाय प्राधिकरण (Business Authorisation) से संबंधित पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर-3 के रूप में वर्गीकरण हेतु निर्धारित न्यूनतम जमा राशि बनाए हुए हैं, अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की **अनुसूची-II** में सम्मिलित किए जाने तथा **'अनुसूचित' (Scheduled)** दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं

4. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

5. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% करने से राहत:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य को पूर्व के 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने के माध्यम से महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। इस शिथिलीकरण से UCBs पर अनुपालन का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें अपने ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक परिचालन लचीलापन प्राप्त हुआ है।

6. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण सीमा 10% से बढ़ाकर 25% की गई:** शहरी सहकारी बैंकों के सदस्यों के लिए आवास ऋण सीमा को उनकी कुल परिसंपत्ति का 10% से बढ़ाकर ऋण एवं अग्रिम का 25% (3 करोड़ रुपये तक) कर दिया गया है ।

7. **महिला ऋण पुनर्भुगतान के लिए 2 लाख रुपये के लक्ष्य को हटाकर 12% (दुर्बल वर्ग) की उप-सीमा में राहत:** दुर्बल वर्गों के लिए 12% की उप-सीमा के तहत महिला उधारकर्ताओं के लिए ₹2 लाख के लक्ष्य को हटाने से अब PSL का अनुपालन सरल हो गया है और यूसीबी को PSL दायित्वों को पूरा करने में अधिक प्रचालन स्वतंत्रता मिल पा रही है ।

8. **शहरी सहकारी बैंकों को राहत देते हुए 50% ऋण सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ किया गया:** शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऋण और अग्रिमों के 50% की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ किया गया, जिससे उन्हें उधारकर्ताओं की उच्च ऋण मांगों को पूरा करने, व्यापार वृद्धि में मदद करने और खुदरा और SME ऋण क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में सक्षमता प्राप्त हुई है ।

9. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा हटाई गई है:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ा कर अब वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष (कोई सीमा नहीं) कर दिया गया है ।

10. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति से शहरी सहकारी बैंक (UCB) क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (Umbrella Organization) के रूप में NUCFDC की स्थापना की गई है। यह संस्था लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक आईटी अवसंरचना एवं परिचालन सहयोग प्रदान कर रही है। इसके द्वारा डिजी लोन (Digi Loan) एवं डिजी पे (Digi Pay) जैसी विभिन्न सेवाएँ भी प्रारंभ की गई हैं।

11. **RBI ने प्रतिभूति प्राप्तियों के लिए ग्लाइड पथ को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक बढ़ा दिया है:** RBI ने दिनांक 24.02.2025 के परिपत्र के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों में पूंजी और तरलता के बेहतर प्रबंधन के लिए गैर-निष्पादित आस्तियों का परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी के माध्यम से दो वर्ष के अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है जिससे ये बैंक संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के नुकसान को कम करने को अब सक्षम हैं ।

12. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान प्रक्रिया भी प्रदान कर पा रहे हैं ।

13. **उच्चतर आवास ऋण सीमाएं**- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया और उन्हें रियल एस्टेट को कुल एक्सपोज़र के 5% तक ऋण देने के लिए सक्षम किया है ।

14. **सहकारी बैंकों में 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया**: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है । सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त है । इससे अब ऑनबोर्डेड बैंकों के सदस्य किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी

15. **UIDAI ने दिनांक 01.08.2025 को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AePS)** में सहकारी समितियों को ऑनबोर्ड होने के लिए एक नई संरचना की शुरूआत की है । अब केवल राज्य सहकारी बैंकों से प्रामाणिकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (AUA)/eKYC उपयोगकर्ता एजेंसी (KUA)

के रूप में ऑनबोर्ड होने की अपेक्षा है; जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से उप- AUA/KUA के रूप में इसे उपयोग करने की अनुमति होगी ।

16. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा पाने को सक्षम हैं । इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल- मुक्त ऋण मिल सकेगा। क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) के अधीन सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) के रूप में सहकारी बैंकों के पंजीकरण के लिए CGTMSE ने 5% सकल NPA या उससे कम को 7% सकल NPA या उससे कम पर युक्तिसंगत किया है ।

17. **सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का कार्यकाल** संविधान के अनुरूप (अधिकतम 10 लगातार वर्ष) करने के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम (Banking regulation Act) में संशोधन किया गया है।

18. **प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों के तहत कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) के लिए सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई:** आरबीआई ने दिनांक 24.03.2025 के मास्टर निदेश के द्वारा कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया । इस कदम से बैंक, कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) को अधिक ऋण सहायता प्रदान कर सकेंगे जिससे कृषि अवसंरचना मजबूत होने को सक्षम है और ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिल रहा है ।

19. **सहकार सारथी (साझा सेवा निकाय):** सहकार सारथी (शेयर्ड सर्विस एंटिटी) प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के पश्चात ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने एवं उनके सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से की गई है। इस संस्था द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए 13 सेवाएँ प्रारंभ की गई हैं।

20. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.10.2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से **ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने एकीकृत ऑम्बड्समैन योजना में शामिल** किया है । इससे ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी ।

21. भारतीय रिजर्व बैंक ने 04.12.2025 की मास्टर डायरेक्शन के द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को **ऑटोमैटिक रूट से नई शाखायें (अधिकतम 10) खोलने की अनुमती दी है।** StCBs और DCCBs, योग्यता के आधार पर, अब बिना किसी देरी के नई शाखायें खोल सकेंगीं और अपना व्यापार बढ़ा सकेंगीं ।

22. भारतीय रिजर्व बैंक ने 28.11.2025 की मास्टर डायरेक्शन के ज़रिए, ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों को **आधुनिक बैंकिंग सेवाएं देने के लिए वित्तीय नियमों में राहत** दी है। ग्रॉस NPA 7% से कम और नेट NPA 3% से ज़्यादा न होने की पिछली ज़रूरतें, और नेट प्रॉफिट के

मानदण्ड को हटा दिया गया है। अब सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को आसानी से आधुनिक बैंकिंग सेवाएं दे सकेंगे।

23. भारतीय रिजर्व बैंक ने 04.12.2025 की मास्टर डायरेक्शन के ज़रिए, **बिज़नेस ऑथराइज़ेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (ECBA) के नियम** जारी किए हैं, जो पहले के FSWM प्रावधानों की जगह लेंगे। पिछले दो सालों में कोई पेनल्टी न लगे होने संबंधी क्लॉज़ को इन नियमों से द्वारा हटा दी गई है। अब सहकारी बैंक आसानी से नई शाखायें खोल सकेंगे और अपना बिज़नेस बढ़ा सकेंगे।

24. RBI ने दिनांक 07.01.2026 को BR एक्ट की **धारा 20 के संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी किया** है, जिससे अब ग्रामीण सहकारी बैंकों के **निदेशक और उनसे संबंधित सहकारी समितियां** अपने संबंधित राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से (नियमों के अनुपालन के अधीन) ऋण लेने के लिए सक्षम हो गये हैं।

25. RBI ने दिनांक 19.01.2026 की अधिसूचना द्वारा **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को PSL फ्रेमवर्क के प्रावधानों के तहत एक योग्य इकाई के तौर पर शामिल किया है।** अब बैंकों द्वारा NCDC को कृषि, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जैसे कार्यों के लिए सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए दिया गया ऋण PSL कैटेगरी में आएगा।

26. भारतीय रिज़र्व बैंक ने **IFFCO जैसे निर्दिष्ट उधारकर्ताओं** को उनके कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (अतिरिक्त/वृद्धिशील निधि) का **50 प्रतिशत से अधिक** बैंकों से उधार लेने की अनुमति प्रदान करते हुए राहत प्रदान की है।

27. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति ने **सहकारी बैंकों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहभागी संस्थानों के रूप में शामिल** करने की अनुशंसा की है। इसके परिणामस्वरूप, पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने अपनी योजना दिशानिर्देशों में संशोधन कर सहकारी बैंकों को सम्मिलित किया है।

28. **बीमा व्यवसाय हेतु सहकारी बैंकों को कॉरपोरेट एजेंट के रूप में शामिल** करने के उद्देश्य से, सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा सहकारी बैंकों से IFFCO की संयुक्त उद्यम कंपनी के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में जुड़ने का अनुरोध किया है।

29. **साइबर धोखाधड़ी** को कम करने तथा त्वरित रिपोर्टिंग एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं सहकारी बैंकों से **I4C और NCRP पोर्टलों पर ऑनबोर्ड** होने का अनुरोध किया है। अब तक 600 से अधिक सहकारी बैंक I4C पोर्टल पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं।

****